

नम्बर व
अदालत का
हुक्म की तारीख
जारी हुए।

अंतिम डिग्री मुकद्दमा इब्दाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ठेडी
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. शब्बीरखां उम्र 40 साल पुत्र उमरखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ जिला सीकर राज0
2. खलीलखां उम्र 35 वर्ष पुत्र उमरखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ जिला सीकर राज0
3. सलीमखां उम्र 30 वर्ष पुत्र उमरखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ जिला सीकर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमति हाजरा बानो उम्र 50 साल बेवाह झाबरखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ जिला सीकर राज0।
2. फारूखखां उम्र 16 वर्ष पुत्र झाबरखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम लावण्डा नाबालिग जरिये माता व प्राकृतिक संरक्षिका हाजरा बानो बेवाह झाबरखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ जिला सीकर राज0।
3. हल्का पटवारी, पटवार हल्का कायमसर तहसील रामगढ जिला सीकर राज0।
4. तहसीलदार एवं उप पंजियक रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर राज0।
5. जिला कलेक्टर सीकर प्रतिनिधि राज्य सरकार जिला सीकर राज0।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकद्दमा नम्बर - 60/14 सन् 2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी स्वयं एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीगण का वाद साबित नही होता है। अतः वादीगण का वाद सिद्ध नही होने से वाद खारिज किया जाता है। खर्चा फरिक्ने अपना अपना वहन करे।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत Xखर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगेरह Xफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21.05.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट, 2018
ग्राम पंचायत

मुद्दाई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	01.00	00
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	06.00	00	मुतफरिक	01.00	
मीशान	09.00	00	मीजान		

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना

उपखण्ड अधिकारी
रागगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत/केम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत